प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-247/2025 दिनांक 04.09.2025)
दिनांक-04.09.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अन्तर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, दो अदद ट्रक वाहन से तस्करी कर बिहार हेतु ले जायी जा रही 224 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब भिन्न-भिन्न ब्राण्ड की (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपये) के साथ 03 शराब तस्कर गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक गोरखपुर रेंज के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.09.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा दो ट्रक टाटा कंपनी वाहन संख्या UP81ET1576 व वाहन संख्या CG04PQ5701 से कुल 224 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 नफर अभियुक्तों 1. अजीत धीमर (कश्यप) पुत्र सुरेश कश्यप निवासी ग्राम बईयापुर उर्फ बंयापुर थाना सदर जिला सोनीपत राज्य हरियाणा 2. दीपक गुलिया पुत्र शील कुमार निवासी ग्राम बाजीतपुर सबौली थाना कुंडली तहसील राई जिला सोनीपत राज्य हरियाणा 3. मनीष जाट पुत्र सूरजमल जाट निवासी ग्राम चमारिया थाना सदर जिला रोहतास राज्य हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 475/2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 238/111 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया हम लोगो का एक संगठित गिरोह है हम लोग पंजाब चंडीगढ़ राज्य में निर्मित अंग्रेजी शराब को ट्रक (UP81ET1576 और CG04PQ5701) में विशेष रूप से बनाए गए गुप्त बॉक्स में छिपाकर बिहार ले जाते हैं। हम लोग ट्रक के नम्बरो को छिपा या निकाल कर रख लेते है तथा चोरी छिपे बिहार मे ले जाकर इसे

Edit with WPS Office

ऊंचे दामों पर बेचकर अधिक धन अर्जित करते है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 475/2025 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 238/111 बीएनएस थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1. अजीत धीमर (कश्यप) पुत्र सुरेश कश्यप निवासी ग्राम बईयापुर उर्फ बंयापुर थाना सदर जिला सोनीपत राज्य हरियाणा
2. दीपक गुलिया पुत्र शील कुमार निवासी ग्राम बाजीतपुर सबौली थाना कुंडली तहसील राई जिला सोनीपत राज्य हरियाणा
3. मनीष जाट पुत्र सूरजमल जाट निवासी ग्राम चमारिया थाना सदर जिला रोहतास राज्य हरियाणा

बरामदगी विवरण- (वाहन सहिंत कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपये)
1. 196 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (McDowells No. 1 deluxe WHISKY ORIGINAL)
2. 28 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (ROYAL CHALLENGE FINE RESERVE WHISKY)(शराब की कुल अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये)
3. दो अदद टाटा ट्रक वाहन संख्या UP 81 ET 1576 तथा वाहन संख्या CG 04 PQ 5701(वाहन का कुल अनुमानित कीमत 40 लाख रुपये)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-
01. प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 नागेन्द्र चौहान चौकी प्रभारी बांसी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
03. हे0का0 विजय किशोर सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
04. का0 धर्मेन्द्र चौहान थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
05. का0 राजेश यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशूनगर
06. का0 सोमनाथ चौहान थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

अन्तर्जनपदीय चोरी/नकबजनी गैंग का पर्दाफाश, चोरी गये अनुमानित कीमत 14 लाख रुपये के सामान जिसमें चोरी के 3 अदद अल्टिनेटर, 14 अदद भगौना, 2300/- रुपये नगद, चोरी के उपकरण व मिनी ट्रक बरामद तथा 02 शातिर चोर गिरफ्तार-

Edit with WPS Office

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा थाना कसया क्षेत्र से दिनांक 10/11.08.2025 के रात्रि में कुल 05 दुकानों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 02 शातिर चोरों 1-इमरान पुत्र इकरार हुसैन निवासी हमीरपुर थाना टाण्डा जनपद रामपुर 2-अफरोज अली उर्फ बिल्ली पुत्र मो0 यासीन निवासी हमीरपुर मजरा मिल्ककायमगंज थाना टाण्डा जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से चोरी गये अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये के सामान की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे ट्रांसपोर्टेशन के काम के बहाने विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और इस दौरान हाईवे के किनारे सुनसान स्थानों पर स्थित दुकानों को निशाना बनाते हैं। वे पहले रेकी कर दुकानों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं, फिर रात के समय चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दिनांक 10/11 अगस्त 2025 की रात को थाना कसया के प्रेमवालिया क्षेत्र में पांच दुकानों में इन्हीं के द्वारा चोरी की गई थी। चोरी किया गया सामान, जिसमें 3 अल्टिनेटर, 14 एल्यूमिनियम भगौने, नकदी और अन्य सामान शामिल हैं, को एक मिनी ट्रक (वाहन सं. UP 21 CT 1237) में लादकर बिहार में बेचने की योजना थी। दोनों के खिलाफ विभिन्न थानों में लगभग एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले(चोरी,आर्म्स एक्ट आदि के) दर्ज हैं।

अनावरित/पंजीकृत अभियोगः-
मु0अ0सं0 520/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस, बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1-इमरान पुत्र इकरार हुसैन निवासी हमीरपुर थाना टाण्डा जनपद रामपुर
2-अफरोज अली उर्फ बिल्ली पुत्र मो0 यासीन निवासी हमीरपुर मजरा मिल्ककायमगंज थाना टाण्डा जनपद रामपुर

Edit with WPS Office

अभि0 अफरोज उर्फ बिल्ली का अपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0 63/2020 धारा 307/401 भादवि थाना साहाबाद जिला रामपुर
2-मु0अ0सं0 234/2020 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना साहाबाद जिला रामपुर
3-मु0अ0सं0 301/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना टाण्डा जिला रामपुर
4-मु0अ0सं0 382/22 धारा 379/427/436 भादवि थाना टाण्डा जिला रामपुर
5-मु0अ0सं0 87/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना टाण्डा जिला रामपुर
6-मु0अ0स0 599/24 धारा 317(2) , 317(4) बीएनएस व 4/25 आर्मस एक्ट थाना टाण्डा जिला रामपुर
7-मु0अ0सं0 155/24 धारा 380/411 भादवि थाना बहजोई जिला सम्भल
8-मु0अ0सं0 173/24 धारा 3/4/25 आर्मस एक्ट थाना बहजोई जिला सम्भल
9-मु0अ0सं0 45/25 धारा 305(ए),331(4),62 बीएनएस थाना नूरपुर जिला बिजनौर
10-मु0अ0सं0 48/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 /27 आर्मस एक्ट थाना नूरपुर जिला बिजनौर
11-मु0अ0सं0 520/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना कसया कुशीनगर

अभि0 इमरान का अपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0स0 11/2023 धारा 313/323/376/452/504/506 भादवि थाना टाण्डा जनपद रामपुर
2-मु0अ0स0 396/23 धारा 323/376/504/506 भादवि थाना टाण्डा जनपद रामपुर
3-मु0अ0सं0 612/24 धारा 115(2)/117(2)/191(2)/333/352/74/76 बीएनएस थाना टाण्डा जनपद रामपुर
4-मु0अ0सं0 520/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना कसया कुशीनगर

विवरण बरामदगी- (कुल कीमत लगभग 14 लाख रुपये)
1-03 अदद अल्टिनेटर (जनरेटर का)
2-14 अदद एल्यूमिनियम का भगौना (बड़ा साईज, ढक्कन सहित)
Edit with WPS Office

3-चोरी के उपकरण लोहे का सब्बल आदि
4- किराना सामान (प्लास्टिक पॉलीथिन में काजू,बादाम तेल आदि)
5-अपराध में प्रयुक्त एक अदद मिनी ट्रक(आईसर) वाहन सं0 UP 21 CT 1237

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-
01. प्र0नि0 अमित शर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 जिएलाल कन्नौजिया थाना कसया जनपद कुशीनगर
03. उ0नि0 संतोष उपाध्याय थाना कसया जनपद कुशीनगर
04. उ0नि0 बरूणेश उपाध्याय थाना कसया जनपद कुशीनगर
05. का उमाशंकर थाना कसया जनपद कुशीनगर
06. का महेन्द्र यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
07. का रामकृष्ण यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
08. का सतीश यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 36 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

__कार्यवाही एक नजर में=__
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-02, ई-चालान-46 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-35, व्यक्ति-115
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-41)

__सोशल मीडिया सेल__
__जनपद कुशीनगर__

Edit with WPS Office